सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

पेश है एलआईसी की

धन वृद्धि

UIN: 512N362V01 | Plan No.: 869

एक नॉन-लिंक्ड, असहभागी,
व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना

एक एकल प्रीमियम योजना

गारंटीड वृद्धि के साथ स्थिर विकास के लिए

ऑनलाइन भी उपलब्ध:

डाउनलोड करें
एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

LIC/P1/2023-24/03/Hin/SB

हमारा वॉट्सएप नं.
8976862090
कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

एलआईसी की धन वृद्धि (UIN: 512N362V01)

(एक असंबद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना)

एलआईसी की धन वृद्धि एक असंबद्ध असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का संयोजन प्रदान करती है। यह योजना पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह जीवित बीमित व्यक्ति के लिए परिपक्वता की तिथि पर निश्चित एकमुश्त राशि भी प्रदान करती है।

इस योजना को अभिकर्ता/अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है जिसमें पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) / कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) शामिल हैं और साथ ही इसे सीधे वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

1. मुख्य विशेषताएँ:

- एकल प्रीमियम योजना
- पॉलिसी अवधि और मृत्यु बीमा–सुरक्षा चुनने के विकल्प
- संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड अभिवृद्धियाँ
- अधिक मूल बीमा राशि वाली पॉलिसियों के लिए अधिक गारंटीड अभिवृद्धियाँ
- मृत्यु या परिपक्वता पर एकमुश्त लाभ
- किस्त में मृत्यु लाभ लेने का विकल्प और परिपक्वता पर निपटान विकल्प
- राइडर, जैसे की एलआईसी का एक्सिडेंटल डेथ एंड डिसएबिलिटी बेनिफिट राइडर और एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर को चुनने का विकल्प
- पॉलिसी ऋण उपलब्ध

2. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

i. पॉलिसी अवधि	10, 15 और 18 वर्ष
ii. प्रवेश के समय न्यूनतम आयु:	90 दिन (पूर्ण) पॉलिसी अवधि 18 वर्ष के लिए 3 वर्ष (पूर्ण) पॉलिसी अवधि 15 वर्ष के लिए 8 वर्ष (पूर्ण) पॉलिसी अवधि 10 वर्ष के लिए
iii. प्रवेश के समय अधिकतम आयु:	विकल्प 1: 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) विकल्प 2: 40 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 10 वर्ष के लिए 35 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 15 वर्ष के लिए 32 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) पॉलिसी अवधि 18 वर्ष के लिए
iv. परिपक्वता के समय न्यूनतम आयु:	18 वर्ष (पूर्ण)
v. परिपक्वता के समय अधिकतम आयु:	विकल्प 1: 78 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) विकल्प 2: 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
vi. प्रीमियम भुगतान का प्रकार	एकल प्रीमियम
vii. न्यूनतम मूल बीमा राशि	रु.1,25,000/–
viii. अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं

मूल बीमा राशि रु.5,000/– के गुणज में होगी

जोखिम शुरू होने की तिथि: यदि बीमित व्यक्ति के प्रवेश के समय उसकी आयु 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम या तो पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष या पॉलिसी की वर्षगांठ के साथ या उसके 8 वर्ष की आयु पूरी करने के तुरंत बाद, जो भी पहले हो से शुरू होगा। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए, जोखिम की स्वीकृति की तिथि से अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि से ही तुरंत जोखिम शुरू हो जाएगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: अगर पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की जाती है, तो पॉलिसी बीमित द्वारा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के समान वाले पॉलिसी वर्षगांठ या उसके तुरंत बाद उसके नाम पर स्वत: निहित हो जाएगी तथा ऐसे निहित होने को निगम तथा बीमित के बीच अनुबंध माना जाएगा।

3. हितलाभ:

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभ:

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ, संचित निश्चित अभिवृद्धियों के साथ ''मृत्यु पर बीमा राशि'' होगी। मृत्यु पर बीमा राशि पॉलिसीधारक द्वारा चयनित विकल्प के आधार पर निम्नानुसार होगी:

विकल्प 1: चयनित मूल बीमा राशि के लिए सारणीबद्ध प्रीमियम का 1.25 गुना

विकल्प 2: चयनित मूल बीमा राशि के लिए सारणीबद्ध प्रीमियम का 10 गुना

जहाँ सारणीबद्ध प्रीमियम बीमित व्यक्ति के प्रवेश के समय आयु, पॉलिसी अवधि और चयनित विकल्प पर आधारित होगी, लेकिन कोई भी छूट देने से पहले। इसमें कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम और अनुवृद्धि प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

हालांकि, अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जिसकी प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, जोखिम शुरू होने से पहले मृत्यु पर (जैसा कि नीचे अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है), देय मृत्यु हितलाभ भुगतान किया गया प्रीमियम (करों को छोड़कर), अतिरिक्त प्रीमियम और अनुवृद्धि प्रीमियम, यदि कोई हो), ब्याज रहित वापिस होगा।

व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विकल्पों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि योजना के अंतर्गत प्रीमियम और लाभ चयनित विकल्प के अनुसार अलग-अलग होंगे और उनमें बाद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ:

परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, **मूल बीमा राशि** के साथ-साथ संचित निश्चित अभिवृद्धि देय होंगे।

सी.निश्चित अभिवृद्धि:

निश्चित अभिवृद्धि प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में, पॉलिसी अवधि के दौरान संचित होंगे और वे चयनित विकल्प, मूल बीमा राशि और पॉलिसी अवधि के अनुसार होंगे।

निश्चित अभिवृद्धि की दरें नीचे निर्दिष्ट हैं:

निश्चित अभिवृद्धि (प्रति रु.1000 मूल बीमा राशि)						
मूल बीमा राशि	पॉलिसी अवधि					
	विकल्प 1			विकल्प 2		
	10 वर्ष	15 वर्ष	18 वर्ष	10 वर्ष	15 वर्ष	18 वर्ष
रु.1,25,000 से रु.2,45,000	60	65	65	25	30	30
रु.2,50,000 से रु.6,95,000	65	70	70	30	35	35
रु.7,00,000 और उससे अधिक	70	75	75	35	40	40

मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु के वर्ष के अनुरूप निश्चित अभिवृद्धियां पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी।

पॉलिसी का अभ्यर्पण होन की स्थिति में, संचित निश्चित अभिवृद्धियां में उस पॉलिसी वर्ष के लिए पूरे किए गए महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर निश्चित अभिवृद्धियां भी शामिल होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है।

4. उपलब्ध विकल्प:

I. राइडर हितलाभ:

केवल प्रारंभ के समय निम्नलिखित दो वैकल्पिक राइडर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध हैं

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512बी209वी02)

इस हितलाभ (राइडर) के अंतर्गत बीमा–हितलाभ पॉलिसी अवधि के दौरान या उस पॉलिसी वर्षगाँठ के पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन वाली आयु 70 वर्ष होती है, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है तो आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में दुर्घटना लाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटनावश होने वाली आकस्मिक स्थाई विकलांगता (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों तक समान मासिक किस्तों में किया जाएगा।

इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा। दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

बी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर (यूआईएन : 512बी210वी01)

इस राइडर के अंतर्गत बीमा–हितलाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान या उस पॉलिसी वर्षगाँठ के पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति के निकटतम जन्मदिन वाली आयु 75 वर्ष होती है, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म एश्योरेंस राइडर बीमा राशि के बराबर राशि देय होगी।

एलआईसी के न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी और राइडर बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु पर बीमित राशि से अधिक नहीं होगी।

पात्रता शर्तों सहित उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।
पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

II. परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प:

निपटान विकल्प परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय 5 वर्षों की अवधि में किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसी धारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान या 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।
किश्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा, जैसा कि भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन निम्नानुसार है:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5000/–
तिमाही	रु.15,000/–
छमाही/अर्ध वार्षिक	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान आने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक

प्रभावी दर होगी जो 5 वर्ष की अर्द्धवार्षिक जी–सेक दर में से 200 आधार अंकों की कमी करके होगी; जहाँ 5 वर्ष की अर्द्धवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिवस पर विद्यमान दर के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.17% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प का उपयोग करने हेतु, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 माह पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान हेतु विकल्प का उपयोग करना होगा।

प्रथम भुगतान परिपक्वता की तिथि पर या उसके बाद, पॉलिसी धारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या अर्ध वार्षिक या वार्षिक रूप से, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के पश्चात:

i. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है और बकाया किस्तों को परिवर्तित करना चाहता है, तो ऐसा बीमित व्यक्ति की ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर किया जा सकेगा। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि, जो निम्नांकित में से जो भी अधिक होगा, होगी, का भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

   - सभी बकाया भविष्य की किस्तों का रियायती मूल्य; या
   - (वह मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) में से (भुगतान की जा चुकी कुल किस्तों की राशि) घटाकर।

ii. लागू ब्याज दर जिसका उपयोग भविष्य की किस्तों के भुगतान में रियायत देने के लिए किया जाएगा, वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 5 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर से अधिक नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष की अर्ध–वार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिवस के अनुसार होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू हुआ था।

   तदनुसार, 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान प्रारंभ होने वाले सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भविष्य की किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.17% प्रतिशत प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

iii. परिपक्वता की तिथि के बाद, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में, जिसने निपटान विकल्प का उपयोग किया है, बकाया किस्तों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाता रहेगा और इसमें नामांकित व्यक्ति द्वारा किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

III. मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प:

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें एक पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय 5 साल की अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभ के लिए किया जा सकता है। पॉलिसी धारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा, जैसा कि भुगतान के विभिन्न तरीकों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन है, जो निम्नानुसार है:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5000/–
तिमाही	रु.15,000/–
छमाही/अर्ध वार्षिक	रु.25,000/–
वार्षिक	रु.50,000/–

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान आने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 5 वर्ष की अर्द्धवार्षिक जी–सेक दर में से 200 आधार अंकों की कमी करके होगी; जहाँ 5 वर्ष की अर्द्धवार्षिक जी–सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिवस पर विद्यमान दर के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीनों की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.17% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का उपयोग करने हेतु, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक या बीमित व्यक्ति अगर वह वयस्क हो, पॉलिसी के चालू रहने के समय अपने जीवन काल में शुद्ध दावा राशि, जिसके लिए वह विकल्प लेना चाहता है, का उल्लेख करते हुए इस विकल्प को चुन सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार तब नामित व्यक्ति को मृत्यु दावे की राशि का भुगतान किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान केवल एकल (एकमुश्त) भुगतान विधि से ही किया जा सकता है।

6. नमूने के लिए प्रीमियम उदाहरण:

मानक जीवन के लिए रु.10,00,000/– की मूल बीमा राशि के लिए नमूने के लिए एकल प्रीमियम उदाहरण निम्नानुसार है:

मूल बीमा राशि के लिए एकल प्रीमियम : रु.10,00,000/–						
आयु	पॉलिसी अवधि					
	विकल्प 1			विकल्प 2		
	10 वर्ष	15 वर्ष	18 वर्ष	10 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
10	9,32,600	8,55,850	7,91,800	7,83,200	7,03,600	6,44,850
20	9,33,600	8,56,950	7,92,950	8,10,050	7,31,000	6,73,500
30	9,34,200	8,58,100	7,94,450	8,29,350	7,70,750	7,27,600
40	9,37,550	8,63,800	8,01,500	9,53,150		
50	9,49,700	8,82,300	8,23,300			
60	9,75,150	9,23,350	8,73,900			

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

7. ऑनलाइन विक्रय के लिए छूट:

अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूरी की गई पॉलिसियों के लिए सारणीबद्ध प्रीमियम पर 2% की छूट के लिए पात्र होगी।

8. पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय योजना:

इस योजना को सीपीएससी–एसपीवी और पीओएसपी–एलआई के माध्यम से खरीदा जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें और अन्य नियम और शर्तें पीओएस योजनाओं और पीओएसपी–एलआई पर लागू आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्रों और विनियमों आदि के अनुसार होंगी। वर्तमान में पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं:

- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी चैनल के माध्यम से विक्रय के लिए विकल्प 2 उपलब्ध नहीं होगा।
- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (आयु निकटतम जन्मदिन) में से पॉलिसी अवधि घटाकर
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन आयु)
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : रु.25 लाख

  एलआईसी की धन वृद्धि योजना पीओएस–लाइफ उत्पादों की असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट श्रेणी के अंतर्गत आती है, यदि इसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदा जाता है। पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों शामिल) के माध्यम से खरीदे जाने पर असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट उत्पादों की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि रु.25 लाख होगी।

  हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि निगम की बीमांकन नीति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत गैर–चिकित्सा सीमाओं के अनुसार तय की जाएगी।

- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।
- एलआईसी की धन वृद्धि के लिए लागू 'मुख्य विशेषता दस्तावेज' (की फ़ीचर डॉक्युमेंट या केएफडी) सह प्रस्ताव प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि विक्रय पीओएसपी–एलआई और सीपीएससी–एसपीवी द्वारा होता है

9. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी को किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है। पॉलिसी के अभ्यर्पण पर निगम द्वारा निश्चित अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक होगा, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय **निश्चित अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)** होगा:

- प्रथम तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान : एकल प्रीमियम का 75%
- उसके बाद : एकल प्रीमियम का 90%

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

इसके अलावा, संचित निश्चित अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य यानी संचित निश्चित अभिवृद्धि गुणित संचित निश्चित अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी कारक, भी देय होगा। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए ये जीएसवी कारक पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और जिसे नीचे दिया गया है:

संचित गारंटीड अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य कारक			
पॉलिसी वर्ष ↓	पॉलिसी अवधि →		
	10	15	18
1	18.10%	17.28%	15.93%
2	19.00%	17.47%	16.48%
3	19.93%	17.66%	17.03%
4	20.85%	17.85%	17.58%
5	21.99%	18.16%	17.58%
6	23.38%	18.60%	17.66%
7	25.05%	19.18%	17.85%
8	27.06%	19.93%	18.16%
9	30.00%	20.85%	18.60%
10	35.00%	21.99%	19.18%
11		23.38%	19.93%
12		25.05%	20.85%
13		27.06%	21.99%
14		30.00%	23.38%
15		35.00%	25.05%
16			27.06%
17			30.00%
18			35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) समीक्षा योग्य है और निगम द्वारा इसका निर्धारण समय-समय पर आईआरडीएआई के पूर्व अनुमोदन के अधीन होकर किया जाएगा। राइडर (रों), यदि कोई हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

10. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के पूरा होने के तीन महीने बाद (अर्थात पॉलिसी जारी होने की तिथि से 3 महीने) या निशुल्क-अवलोकन अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है।

अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में दिया जा सकने वाला अधिकतम ऋण नीचे दिया गया है:

विकल्प	अधिकतम ऋण (अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में)		
	पॉलिसी अवधि – 10 वर्ष	पॉलिसी अवधि – 15 वर्ष	पॉलिसी अवधि – 18 वर्ष
विकल्प 1	70%	60%	50%
विकल्प 2	60%	50%	40%

1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋण के लिए पूर्ण ऋण अवधि हेतु लागू ऋण ब्याज दर पछले वित्तीय वर्ष की अंतिम व्यवसायिक तिथि के अनुसार 10 वर्ष जी-सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक एवं 300 आधार अंक के योग या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित आय एवं 100 आधार अंक के योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध-वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए लागू ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

ब्याज सहित कोई भी बकाया ऋण निर्गम/पॉलिसी छोड़ते समय दावा राशि से वसूल किया जाएगा।

11. टैक्स (कर)

अगर भारत सरकार या भारत के किसी अन्य सांवधिक प्राधिकरण द्वारा ऐसे बीमा योजनाओं पर कोई वैधानिक टैक्स लगाया जाता है तो वह समय-समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर से देय होगा।

मौजूदा दरों के अनुसार लागू कर की राशि, पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम(मों) (मूल पॉलिसी तथा राइडर (रों), अगर कोई हो) पर देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के ऊपर व अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। अदा किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

12. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को संरक्षण की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर(रों)के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सा परीक्षण पर हुए व्ययों (विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, सहित) और स्टांप शुल्क की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा।

13. आत्महत्या अपवर्जन:

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे समझदार हो या पागल) द्वारा जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर ली जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% (अवधि बीमा राइडर, यदि कोई हो, के अलावा किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम को छोड़कर) को पाने की पात्रता होगी। बीमित व्यक्ति के नामांकित या लाभार्थी को पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे की पात्रता नहीं होगी।

आत्महत्या अनुच्छेद उस बीमित व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगा, जिसकी प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है।

14. प्रतीक्षा अवधि:

यदि यह योजना पीओएसपी-एलआई / सीपीएससी-एसपीवी के माध्यम से खरीदी जाती है, तो जोखिम शुरू होने की तिथि से पहले 90 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, निगम द्वारा भुगतान की गई कुल प्रीमियम को वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो और मृत्यु दुर्घटना के कारण नहीं हुई हो। हालांकि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में अनुच्छेद 1 (क) में निर्दिष्ट मृत्यु लाभ देय होगा। यह अनुच्छेद उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम हो।

15. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरणों, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण निहित है या कोई भौतिक जानकारी रोककर रखी गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य होगी और किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. पॉलिसी समापन:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु लाभ/मृत्यु लाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जब पॉलिसी के अंतर्गत समर्पण लाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

इ) ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि समर्पण मूल्य से अधिक हो जाए; या

एफ) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

जी) अनुच्छेद 15 में विनिर्दिष्ट अनुसार जब्ती की स्थिति में।

17. नमूना हेतु हितलाभ उदाहरण:

इन उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक कुछ मात्रा में उत्पाद की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह के गुणों को पहचान सके। ये उदाहरण एक मानक जीवन पर लागू होते हैं।

उदाहरण 1:

विकल्प	1	मृत्यु पर बीमा राशि रु.	10,72,625
आयु	30	एकल प्रीमियम (बिना जीएसटी) रु.	8,58,100
पॉलिसी अवधि	15	जीएसटी दर	4.50%
मूल बीमा राशि रु.	10,00,000	एकल प्रीमियम (जीएसटी के साथ) रु.	8,96,715

हितलाभ सारांश:

पॉलिसी वर्ष (वर्ष समापन)	एकल* प्रीमियम	संचित निश्चित अभिवृद्धियां	निश्चित हितलाभ		
			परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम निश्चित अभ्यर्पण लाभ**
1	8,58,100	75,000	–	11,47,625	6,56,535
2	–	1,50,000	–	12,22,625	6,69,780
3	–	2,25,000	–	12,97,625	6,83,310
4	–	3,00,000	–	13,72,625	8,25,840
5	–	3,75,000	–	14,47,625	8,40,390
6	–	4,50,000	–	15,22,625	8,55,990
7	–	5,25,000	–	15,97,625	8,72,985
8	–	6,00,000	–	16,72,625	8,91,870

9	–	6,75,000	–	17,47,625	9,13,028
10	–	7,50,000	–	18,22,625	9,37,215
11	–	8,25,000	–	18,97,625	9,65,175
12	–	9,00,000	–	19,72,625	9,97,740
13	–	9,75,000	–	20,47,625	10,36,125
14	–	10,50,000	–	21,22,625	10,87,290
15	–	11,25,000	21,25,000	21,97,625	11,66,040

उदाहरण 2 :

विकल्प	2	मृत्यु पर बीमा राशि रु.	77,07,500
आयु	30	एकल प्रीमियम (बिना जीएसटी) रु.	7,70,750
पॉलिसी अवधि	15	जीएसटी दर	4.50%
मूल बीमा राशि रु.	10,00,000	एकल प्रीमियम (जीएसटी के साथ) रु.	8,05,434

हितलाभ सारांश:

पॉलिसी वर्ष (वर्ष समापन)	एकल* प्रीमियम	संचित निश्चित अभिवृद्धियां	निश्चित हितलाभ		
			परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम निश्चित अभ्यर्पण लाभ**
1	7,70,750	40,000	–	77,47,500	5,84,975
2	–	80,000	–	77,87,500	5,92,039
3	–	1,20,000	–	78,27,500	5,99,255
4	–	1,60,000	–	78,67,500	7,22,235
5	–	2,00,000	–	79,07,500	7,29,995
6	–	2,40,000	–	79,47,500	7,38,315
7	–	2,80,000	–	79,87,500	7,47,379
8	–	3,20,000	–	80,27,500	7,57,451
9	–	3,60,000	–	80,67,500	7,68,735
10	–	4,00,000	–	81,07,500	7,81,635
11	–	4,40,000	–	81,47,500	7,96,547
12	–	4,80,000	–	81,87,500	8,13,915
13	–	5,20,000	–	82,27,500	8,34,387
14	–	5,60,000	–	82,67,500	8,61,675
15	–	6,00,000	16,00,000	83,07,500	9,03,675

* उपरोक्त एकल प्रीमियम वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से देय है और इसमें कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम (में), यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

** यद्यपि विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है, यदि यह पॉलिसी धारक के लिए अधिक अनुकूल हो।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान को समय–समय या संशोधित किया जाएगा। प्रावधान का सरलीकृत स्वरूप इस प्रकार है:

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अंतर्गत प्रश्नगत न किए जाने वाले प्रावधान निम्नअनुसार हैं:

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को 3 वर्ष की समाप्ति पर निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा
   ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि या
   बी. जोखिम के आरंभ होने की तिथि या
   सी. पॉलिसी के पुर्नचलन होने की तिथि या
   डी. पॉलिसी के राइडर की तिथि
   जो भी बाद में हो

2. धोखेधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की पॉलिसी को निम्नलिखित से 3 वर्षों के अंदर प्रश्नगत किया जा सकता है।
   ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि या
   बी. जोखिम के आरंभ होने की तिथि या
   सी. पॉलिसी के पुर्नचलन होने की तिथि या
   डी. पॉलिसी के राइडर की तिथि
   जो भी बाद में हो
   इसके लिए, बीमाकर्ता को बीमित या उसके कानूनी प्रतिनिधि, नामित व्यक्ति या बीमित के समनुदेशितों को, जो भी लागू हो, निर्णय वे आधार तथा तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखित में सूचित करना चाहिए।

3. धोखेधड़ी का अर्थ बीमित या उसके अभिकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने के इरादे से या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं कृत्यों के करने से है:
   ए. सुझाव, जो वास्तव में सही नहीं है और जिस के सच होने पर बीमित को विश्वास नहीं है।
   बी. बीमित द्वारा जानबूझकर किसी तथ्य को छिपाना, जिसकी उसे जानकारी थी या तथ्य पर विश्वास था;
   सी. धोखा देने के इरादे से कोई अन्य कृत्य; तथा
   डी. कोई ऐसा कृत्य या चूक जिसे कानून स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित करता हो।
4. सिर्फ़ चुप रहना धोखेधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थिति के अनुसार यह चुप रहने वाले बीमित या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य है कि वह अपनी बात कहे या चुप रहे, जहां चुप रहना अपने आप में बोलने के समान न हो।

5. कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर

सकता है, अगर बीमित/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी तथा उसने जानबूझकर तथ्य को छिपाया नहीं है या ऐसी गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाए जाने की जानकारी बीमाकर्ता को है। इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी पॉलिसीधारक, अगर जीवित या लाभार्थियों पर है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी को 3 वर्षों के अंदर इस आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है कि किसी बीमित की जीवन प्रत्याशा के किसी कथन या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर प्रस्ताव पत्र या किसी अन्य कागजात में गलत तरीके से पेश किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था। इसके लिए बीमाकर्ता को बीमित या कानूनी प्रतिनिधि या बीमित के नामित व्यक्ति या समनुदेशितियों जो भी लागू हो, को आधार तथा तथ्यों, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का फैसला लिया गया है, को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।

7. अगर धोखेधड़ी के बजाय गलतबयानी के आधार पर पालिसी को अस्वीकृत किया जाता है, तो अस्वीकृत किए जाने की तिथि तक लिए गए प्रीमियम को पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के अंदर, बीमित या कानूनी प्रतिनिधि या नामित व्यक्ति या बीमित के अभ्यर्पितों को अदा किया जाएगा।

8. किसी तथ्य को तब तक महत्त्वपूर्ण तथ्य नहीं माना जाएगा, जब तक कि बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर उसका सीधा प्रभाव न हो। बीमाकर्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि अगर उसे कथित तथ्य की जानकारी होती तो उसके द्वारा बीमित को जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता किसी भी समय बीमित से उम्र का प्रमाण मांग सकता है अगर वह ऐसा करने को अधिकृत हो तथा किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इसलिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्योंकि पॉलिसी की शर्तों को बीमित के उम्र को बाद में प्रमाण के कारण समायोजित किया गया है। अत: उम्र के प्रमाण के बाद में जमा कराए जाने के आधार पर उम्र पर प्रश्न या समायोजन करने के लिए यह खंड लागू नहीं होगा।

(अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की संपूर्ण सूची नहीं है तथा आम जानकारी के लिए तैयार किया गया केवल एक सरलीकृत स्वरूप है। पॉलिसीधारकों को सलाह दी जाती है कि संपूर्ण तथा सटीक विवरणों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 देखें)।

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत

के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय-समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

नकली फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनसों की घोषणा या प्रीमियमों का निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। अगर किसी को ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कृपया पुलिस में शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करना था, ताकि देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचा जा सके और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय बीमा-सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी महत्वपूर्ण जीवन बीमाकर्ता के रूप में बना हुआ है और वह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए विकास के एक नए मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। छह दशकों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हुए एलआईसी ने संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता व शक्ति को सतत रूप से परिवर्द्धित किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम
जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512